

सूचना का अधिकार अधिनियम [2005 u/s 6(1)] के तहत निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने का अनुरोध

(1) इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में कार्यरत अधिकारी तथा युनियनाइज्ड वर्कमैन को 2017 के वेतन समझौता में कितना प्रतिशत मिनिमम गारंटी बेनिफिट , पर्स प्रतिशत तथा पेंशन में कंपनी अंशदान दिया गया था ? कृपया सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का अलग अलग ब्यौरा दे ।

(2) इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत अधिकारी तथा युनियनाइज्ड वर्कमैन को एमजीबी (मिनिमम गारंटी बेनिफिट) तथा पर्स का एरियर दिया गया था ?

(3) इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत युनियनाइज्ड वर्कमैन का 2017 से प्रभावी वेतन समझौता किस तिथि को सम्पन्न हुआ है ?

(4) इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत युनियनाइज्ड वर्कमैन हेतु 2017 से प्रभावी या किये गए समझौते की एमओयु (मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) तथा एमओए (मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट) की कॉपी देने की कृपा करें ।

(5) इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों में कार्यरत युनियनाइज्ड वर्कमैन को डीए , बेसिक , पर्स के अलावा मिलने वाले भत्ते, सुविधाओं , वार्षिक बोनस/एक्सग्रेसिया/ परफॉर्मेंस लिंक अवार्ड की राशी का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें ।

नोट:-उपरोक्त सवालों के जवाब अगर आपके विभाग के अधीन नहीं आता हो तो सूचना के अधिकार अधिनियम [2005 u/s 6(3)] के अंतर्गत संबंधित विभाग को अग्रसारित करने की कृपा करें।